

:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

प्रारूप -6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

-: सेवानिवृत्ति आदेश :-

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/बी-2/सेवानिवृत्तियां/2019-20/ दिनांक 21 जून 2019 द्वारा श्री अशोक कुमार व्यास, (जन्मतिथि 11.06.1959) सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरूपगंज, सिरोही को दिनांक:-30.06.2019 से सेवानिवृत्ति किये जाने के आदेश इस कार्यालय द्वारा जारी किये गये थे। विभागीय आदेश दिनांक 21.06.2019 में वर्णितानुसार तत्समय इनके विरुद्ध सीसीए नियम-16 के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन थी। उक्त कार्यवाही विभागीय आदेश दिनांक 27.07.2020 द्वारा समाप्त की जा चुकी है।

अतः श्री अशोक कुमार व्यास, तत्कालीन प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरूपगंज, सिरोही के संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है कि, इनके विरुद्ध आदिनांक तक -

- 01 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
- 02 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
- 03 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :: शिविरा-मा/संस्था/बी-2/सेवानिवृत्तियां/प्रधानाचार्य/2019-20/ दिनांक : 03/02/2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 01 सयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय पाली।
- 02 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक, सिरोही।
- 03 संबंधित सयुक्त-निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
- 04 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा सिरोही।
- 05 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 06 श्री अशोक कुमार व्यास, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरूपगंज जिला सिरोही।
- 07 रक्षित / निजी पत्रावली।


सयुक्त निदेशक (कार्मिक)